इस अहकाम
की हुक्म
प्रं. व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022 उनवान आमीर बनाम अहदमनूर ::

1.आमीर पुत्र सब्बा, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
--प्रार्थी

बनाम

1. अहमदनूर पुत्र शाहनूर, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर राज।
2. अपराधी पुत्र मोडू
3. जन्नत पुत्री मोडू
4. जुम्मा पुत्री ईदू
5. मनफूल पत्नि मोडू
6. यासीन मोहम्मद पुत्र मोडू
7. शहनाज पुत्र मोडू
8. सुबरात पुत्र मोडू
9. सुबान पुत्र मोडू
समस्त जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर राज।
10.नजीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर राज।
11.आमीर मोहम्मद पुत्र चांद खां
12.कमरूद्दीन पुत्र ईस्माईल
13.मरियम पत्नि ईस्माईल
14.लाली पत्नि शफी मोहम्मद
15.सफी पुत्र ईस्माईल
16.सहीदा पत्नी हुसैन मोहम्मद
17.हुसैन पुत्र ईस्माईल
18.रामचन्द्र पुत्र लालू जाति कुम्हार निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
18/1 कालू पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
18/2 रामरतन पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
18/3 कमला पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र
समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
19.लादू पुत्र बालू जाति जाट
19/1 बन्नालाल पुत्र रामनाथ जाति जाट
19/2 तेजूराम पुत्र रामनाथ जाति जाट
19/3 रामरतन पुत्र रामनाथ जाति जाट
सर्व निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
20.कजोड पुत्र मोडू
21.मज्या पत्नी घम्मा
22.महबूब पुत्र मोडू
23.लाली पुत्र छोटू

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई,तहसील अरांई जिला अजमेर राज।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.04.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 14/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई मे स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1088 रकबा 0.7686 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1074 रकबा 0.0971 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1094 रकबा 0.0081 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1103 रकबा 2.1843 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1209/1103 रकबा 0.3560 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1225/1103 रकबा 0.7038 हैक्टेयर स्थित है जिस पर प्रार्थीगण वर्तमान में नक्शेनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार काबिज काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1069, 1071, 1072, 1082, 1086 स्थित है, जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवारी हल्का द्वारा 17.06.2020 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा तैयार किया गया था। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 23 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है । अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते है जिसके निवारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1088 रकबा 0.7688 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1074

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

रकबा 0.0971 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1094 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1103 रकबा 2.1843 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1209/1103 रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1225/1103 रकबा 0.7038 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1064 रकबा 1.0517 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1079 रकबा 0.2184 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1093 रकबा 0.3560 हैक्टैयर, का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

2. दिनांक 20.05.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 18 व 20 से 24 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुये जिनमें से अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उल्लेख किया गया कि ग्राम ढसूक के खसरा संख्या 1069, 1071, 1072, 1082, 1086 का विधिक विभाजन नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा वादअधीन भूमि के दक्षिण में है तथा उक्त भूमि ग्राम ढसूक व जिला टोंक की सीमा से लगायत है तथा 01 जरीब ओवरलेप होती है, तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा जवाब पेश किया गया कि खसरा संख्या 129, 130 का विभाजन नहीं हुआ है तथा 01 जरीब ओवरलेप होती है। जिसका जवाब वकील प्रार्थी ने पेश करके निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01, 10 का जवाब मिथ्या तथ्यों पर आधारित है खसरा संख्या 129, 130 की सीमा विवादित आराजी से लगायत नहीं है।

3. दिनांक 23.09.2022 को वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 18 की मृत्यु बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत पेश किया जिसें न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा दिनांक 11.09.2023 को वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 19 की मृत्यु बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत पेश किया जिसें न्यायहित में स्वीकार किया गया संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया। उचित प्रकार से तामिली होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से दिनांक 14.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 02 से 09 तथा 10 से 24 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 28.03.2024 को अप्रार्थीगणों के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई में स्थित भूमि खसरा संख्या 1088 रकबा 0.7686 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1074 रकबा 0.0971 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1094 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1103 रकबा 2.1843 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1209/1103 रकबा 0.3560 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1225/1103 रकबा 0.7038 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/— रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर वादअधीन भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई में स्थित भूमि खसरा संख्या 1088 रकबा 0.7686 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1074 रकबा 0.0971 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1094 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1103 रकबा 2.1843 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1209/1103 रकबा 0.3560 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1225/1103 रकबा 0.7038 हैक्टैयर का पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)